वेदांता लिमिटेड

स्टॉक एक्सचेंजों को महत्वपूर्ण घटनाओं / अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी के बारे में उचित सूचना देने और अभिलेख रखने की नीति के दृष्टकोण से तथ्यपूर्ण होने के निर्धारण की नीति

अनुमोदनकर्ता	बोर्ड
वर्ज़न	2
प्रभावी तिथि	14 जुलाई 2023

स्टॉक एक्सचेंजों को महत्वपूर्ण घटनाओं / अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी की उचित सूचना देने और अभिलेख रखने की नीति के दृष्टिकोण से तथ्यपूर्ण होने के निर्धारण की नीति

क. नीति का उद्देश्य

सेबी (एसईबीआई) (एसईबीआई) (सूचीकरण के दायित्व और घोषणा संबंधी आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") ने किसी घटना / जानकारी के तथ्यपूर्ण होने के निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश और ऐसी तथ्यपूर्ण घटनाओं और अप्रकाशित मूल्य संबंधी संवेदनशील जानकारियों ("यूपीएसआई") को स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष निष्पक्षता से प्रदान करने की प्रक्रियाएं और अभिलेख रखने की नीति निर्धारित की है।

वेदांता लिमिटेड ("कंपनी") ने एक वैश्विक संगठन के रूप में अपने कॉर्पोरेट प्रशासन की प्रक्रियाओं को अंतराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुसार मानकीकरण किया है। कंपनी निवेशकों को निष्पक्ष, पारदर्शी और समय से महत्वपूर्ण जानकारी देने की अपनी यह जिम्मेदारी समझती है। तदनुसार कंपनी इस नीति के माध्यम से तथ्यपूर्णता निर्धारित करने और उनकी उचित जानकारी देने के मानक निर्धारित कर रही है।

इस नीति का उद्देश्य कंपनी द्वारा प्रसारित जानकारी की गुणवत्ता और सत्यता में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी और प्रोत्साहक फ्रेमवर्क प्रदान करना है।

यह नीति लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किसी भी आवश्यकता में कमी नहीं करेगी। यह नीति कंपनी के 'संबंधित कर्मचारियों' को किसी भी संभावित घटना या जानकारी की पहचान करने और अधिकृत कार्मिक को इसकी रिपोर्ट देने में सहायता करेगी, जोकि स्टॉक एक्सचेंज को आवश्यक जानकारी देने के लिए लिस्टिंग विनियमों के अनुसार हो।

ख. व्याख्या

इस नीति के शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जोकि लिस्टिंग विनियमों और या अन्य लागू कानूनों और उनके तहत किए गए संशोधनों में निहित है।

ग. घोषणा करने में निरंतरता की प्रतिबद्धता

कंपनी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्दिष्ट समय सीमा में महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों की सूचना देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। यह नीति पूरे संगठन में पूरी तरह से लागू हो यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एक आंतरिक एसओपी का विकास किया है जिसमें निम्नलिखित विवरण हैं:

- मुख्य सिद्धांत जिनमें वैधानिक आवश्यकताओं के विवरण हैं;
- कंपनी के 'संबंधित कर्मचारी' ऐसी किसी भी संभावित महत्वपूर्ण घटना या जानकारी की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होंगे जोकि स्टॉक एक्सचेंज को देना अनिवार्य हो।
- रिपोर्ट देने की प्रक्रियाओं का पूरे संगठन में अनुपालन करना है
- अंदरूनी संवाद करने और संवेदनशील बनाने के लिए
- परिणाम का प्रबंधन

एसओपी में निर्दिष्ट निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी घोषणा संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान

केंद्रित करे:

- यह सुनिश्चित करना कि घोषणा करने योग्य जानकारी की पहचान करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं और नियंत्रण मौजूद हों
- किसी घटना के वास्तविक समय या जानकारी के आकलन के आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना देने का उचित समय निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना कि जानकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर दी जाए
- ऐसी अन्य घटनाओं या जानकारियों पर विचार करना जिनकी स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना देना आवश्यक हो जबकि सेबी (एसईबीआई) (एसईबीआई) लिस्टिंग विनियमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया हो और ऐसे मामलों की घोषणा करने की तथ्यपूर्णता, उचित समय और विषय-वस्तु का निर्धारण करना
- पूरे संगठन में आंतरिक एसओपी का सही अर्थों में अनुपालन सुनिश्चित करना

घ. तथ्यपूर्णता का आकलन और घोषणा करने की आवश्यकता

1. तथ्यपूर्ण होने का निर्धारण किसी घटना या जानकारी से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग मामलों के आधार पर किया जाएगा।

2. लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के (ए) में निर्दिष्ट घटनाओं की जानकारी दी जाएगी भले ही तथ्यपूर्णता जो भी हो।

3. लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के (बी) में निर्दिष्ट घटनाओं की जानकारी दिशानिर्देश लागू होने पर दी जाएगी।

4. लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के भाग बी में निर्दिष्ट सभी जानकारियां दी जाएंगी जिनका वेदांता लिमिटेड के प्रदर्शन / संचालन पर असर पड़ेगा या जोकि मूल्य संवेदनशील हैं या फिर ब्याज या लाभांश के भुगतान या गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को रिडीम करने पर भुगतान को प्रभावित करेंगी।

5. कंपनी उपरोक्त बिंदु 2 शामिल घटनाओं / जानकारी कर तथ्यपूर्णता के निर्धारण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू करेगी:

   a) तथ्यपूर्णता का निर्धारिण जानकारी / घटना से जुड़ें तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग मामलों के लिए किया जाएगा। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी घटना / जानकारी की प्रकृति तथ्यपूर्ण है कंपनी निम्नलिखित मानकों पर विचार करेगी:

      1. किसी घटना या जानकारी प्राप्त करने से **<u>चूक जाना</u>**:
         (a) जिसके परिणामस्वरूप पहले से सार्वजनिक किसी घटना या जानकारी के क्रम टूटने या फेरबदल होने की संभावना हो; या
         (b) जिसके परिणामस्वरूप बाजार में बड़ी प्रतिक्रिया होने की संभावना हो यदि उपरोक्त चूक बाद की किसी तिथि में नजर आती है; या
         (c) जिसका मूल्य या मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित प्रभाव, निम्नलिखित में से निम्न से अधिक हो:
            - 2% टर्नओवर, कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार;
            - 2% नेट वर्थ, कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार; सिवाय इस मामले में कि निवल मूल्य का अंकगणितीय मूल्य नकारात्मक हो;
            - कर लगने के बाद लाभ या हानि के औसत मूल्य का 5%, कंपनी के पिछले तीन लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार।

      2. ऐसे मामले में जहां उपरोक्त (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट मानक लागू नहीं होते हैं, यदि कंपनी के निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत केएमपी की राय में घटना / जानकारी को तथ्यपूर्ण माना जाता है।

6. कंपनी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 या लिस्टिंग विनियमों के विनियम 51 के तहत निर्दिष्ट सभी घटनाओं या जानकारियों की सूचना तुरंत स्टॉक एक्सचेंज को देगी।

7. कंपनी सहायक कंपनियों के संबंध में सभी घटनाओं या जानकारियों की सूचना भी देगी जोकि कंपनी के लिए तथ्यपूर्ण हैं।

8. यदि किसी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकरण से मिली सूचना के अनुसार इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के लिए किसी घटना की सूचना या जानकारी देना आवश्यक है तो कंपनी यह सूचना देने के साथ कथित घटना या जानकारी देगी बशर्ते ऐसे किसी प्राधिकरण ने इस तरह की सूचना देना निषेद्ध नहीं किया हो।

9. कंपनी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार मुख्यधारा के मीडिया (लिस्टिंग विनियमों के तहत परिभाषित) में रिपोर्ट की गई ऐसी किसी भी घटना या जानकारी की पुष्टि, खंडन करेगी या स्पष्टीकरण देगी जोकि सामान्य प्रकृति की नहीं होगी और जिसमें निवेशकों के बीच किसी संभावित घटना या जानकारी के बारे में अफवाह फैलने का संकेत होगा। यह सूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी सेबी (एसईबीआई) लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार देनी होगी।

10. सूचना का प्रारूप सेबी (एसईबीआई) द्वारा समय-समय पर लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा।

ई. सूचना देने के लिए समय सीमा

कंपनी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा के अंदर सभी तथ्यपूर्ण घटनाओं / जानकारियों की सूचना देगी और ऐसी अन्य फाइलें प्रस्तुत करेगी:

सूचना की प्रकृति	**सूचना देने की समय सीमा**
वेदांता लिमिटेड के अंदर होने वाले विकास या वहां उत्पन्न जानकारी *इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:* • *कोई भी आंतरिक घटना / जानकारी जिसे तथ्यपूर्ण मानने की संभावना हो।* • *वेदांता लिमिटेड सहित उसकी सहायक कंपनियों पर तथ्यपूर्ण प्रभाव डालने वाली कोई भी बाहरी घटना/सूचना और यदि वेदांता को इसकी विधिवत् सूचना दी गई हो।*	• **घटनाएं / जानकारियां जिनके लिए बोर्ड की मंजूरी की आवश्यक है:** बोर्ड की बैठक समाप्त होने के 30 मिनट के अंदर, यदि मामले में मंजूरी मिल गई है • **घटनाएं / सूचनाएं जिनके लिए बोर्ड की मंजूरी आवश्यक नहीं है:** 12 घंटे के अंदर
वेदांता लिमिटेड के बाहर की जानकारी जिसकी सूचना किसी निष्पक्ष स्रोत (थर्ड पार्टी) से मिली हो *इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:* • *वेदांता लिमिटेड सहित उसकी सहायक कंपनियों पर तथ्यपूर्ण प्रभाव डालने वाली कोई भी बाहरी घटना/सूचना और यदि वेदांता को इसकी विधिवत् सूचना नहीं दी गई हो।*	24 घंटे के अंदर
बोर्ड की बैठक के निष्कर्ष जोकि अनुसूची III में निर्दिष्ट मामलों के लिए हो	बोर्ड की बैठक समाप्त होने के 30 मिनट के अंदर
विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक का कार्यक्रम	कम से कम 2 दिन की अग्रिम सूचना (सूचना देने की तिथि और बैठक की तिथि समेत)
विश्लेषकों / निवेशकों की बैठक की प्रस्तुति और ऑडियो / वीडियो रिकॉर्डिंग	अगले कार्य दिवस से पहले या इस तरह के बैठक के समापन से 24 घंटे के अंदर, जो भी पहले हो
विश्लेषक / निवेशक बैठक के ट्रांसक्रिप्ट	ऐसी बैठक के समापन के 5 कार्य दिवसों के अंदर
कंपनी को बाध्य करने वाले समझौते जैसा कि लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के पैरा ए के क्लॉज़ 5 ए में दिए गए हैं	<u>**भविष्य में होने वाले समझौते, यदि वेदांता लिमिटेड ऐसे समझौते में एक पक्ष नहीं है:**</u> इस तरह के समझौतों में एक पक्ष बने शेयरधारक, प्रमोटर, प्रमोटर समूह संस्थाएं, संबंधित पक्ष,

	निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कर्मी और कर्मचारी ऐसे समझौते करने या ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने के **2 कार्य दिवसों के अंदर** कंपनी को ऐसे समझौतों की सूचना देंगे जिनमें **कंपनी पार्टी नहीं है**। कंपनी यह जानकारी मिलने के 24 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी। **भविष्य में होने वाले समझौते, यदि वेदांता लिमिटेड ऐसे समझौतों में एक पार्टी है:** • **बोर्ड की मंजूरी के बाद समझौते:** बोर्ड की बैठक समाप्त होने के 30 मिनट के अंदर, जिन मामलों में समझौते को मंजूरी दी जाती है • **घटनाएं / जानकारियां जिनमें बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है:** ऐसे समझौते करने या ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने के 12 घंटे के अंदर

एफ. उसके तहत जानकारी की तथ्यपूर्णता सुनिश्चित और प्रसारित करने का अधिकार

जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30 के तहत निर्धारित किया गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने किसी घटना या सूचना की तथ्यपूर्णता निर्धारित करने और स्टॉक एक्सचेंज (जों) को इसकी सूचना देने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को अधिकृत किया है:

1. **<u>घटना की तथ्यपूर्णता सुनिश्चित करना:</u>** स्टॉक एक्सचेंज़ (जों) को सूचना देने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से कार्यकारी निदेशक और केएमपी (सीईओ, सीएफओ और सीएस) (अधिकृत कार्मिक) को ग्रुप कम्युनिकेशन और निवेशक संबंध प्रमुख की सलाह से किसी घटना / जानकारी की तथ्यपूर्णता निर्धारित करने के लिए अधिकृत गया गया है।
   कंपनी के आंतरिक एसओपी में घटनाओं या जानकारियों की सूचना देने के लिए उल्लिखित 'संबंधित कर्मचारी' किसी भी ऐसी घटना या जानकारी की सूचना तुरंत उपरोक्त अधिकृत कार्मिक को देंगे जिसकी स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देना आवश्यक हो।

2. **<u>स्टॉक एक्सचेंज (जों) को सूचित करना:</u>** एक्सचेंज (जों) को किन्हीं घटनाओं/ जानकारी की सूचना देने के लिए कंपनी के कंपनी सचिव/अनुपालन अधिकारी/उप कंपनी सचिव को अधिकृत किया गया है।

जी. विश्लेषकों एवं निवेशकों की बैठक

कंपनी समय-समय पर विश्लेषकों और निवेशकों की बैठकों में भाग लेती है। ऐसी बैठकों में कंपनी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

1. इन बैठकों में बाजार के लिए संवेदनशील कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी बशर्ते यह साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज (जों) को नहीं दी जाती है
2. यदि बाजार के लिए संवेदनशील जानकारी अनजाने में जारी हो जाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज (जों) को यथाशीघ्र इसकी सूचना दी जाएगी पर यह लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्दिष्ट समयसीमा के बाहर नहीं हो
3. बाजार के लिए संवेदनशील जानकारी पर उठने वाले प्रश्नों के उत्तर प्रबंधन नहीं देगा
4. निवेशकों के लिए दी गई प्रस्तुतियां कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी

एच. बिना किसी मंशा या अनजाने में सूचना देना

कंपनी अत्यधिक सावधानी से भागीदारों को सूचना देगी। हालांकि यदि कंपनी के प्रवक्ता या कर्मचारी बिना किसी मंशा या अनजाने में कोई सूचना देते हैं तो जल्द से जल्द इसका खंडन या स्पष्टीकरण लक्षित लोगों को दिया जाएगा।

आई. अभिलेख तैयार करने की नीति

जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30 (8) के तहत निर्धारित किया गया है, कंपनी अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी घटनाओं या जानकारियों की सूचना देगी जोकि इस विनियमन के तहत स्टॉक एक्सचेंज (जों) को बताई गई हैं और इस तरह की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक प्रसारित रहेगी और उसके बाद कंपनी सचिव अपने विवेक से इसे प्रसारित रखने या हटा देने का निर्णय ले सकते हैं।

जे. सीमा एवं संशोधन

इस नीति के प्रावधानों और कथित अधिनियम या लिस्टिंग विनियमों या किसी अन्य वैधानिक अधिनियमों, नियमों के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में ऐसे अधिनियम या लिस्टिंग विनियमों या वैधानिक अधिनियमों के प्रावधान, नियम इस नीति के ऊपर प्रभावी होंगे। लिस्टिंग विनियमों, अधिनियम और/या इस संबंध में लागू कानूनों में कोई भी आगामी संशोधन/संशोधन अपने-आप इस नीति पर लागू होगा।